न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 25/2015

1 'मृतक' मुसम्मात बिसमिल्ला बेवा स्व. भोलाश्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं । 'नोट– दौराने अपील दिनांक 03.04.2018 को देहान्त हो गया।'
2 मुंशी आयु 59 साल
3 इशाक उम्र 56 साल पुत्रगण स्व. भोलाश्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
4 मु. सहिदा उम्र 63 साल पत्नी श्री उम्मेद पुत्रियां स्व. भोलाश्या
5 मु. मैना उम्र 54 साल पत्नी श्री मुराद (फकीर) निवासीगण तिहावली तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 'मृतक' इब्राहिम पुत्र स्व. मंगलश्या निवासी ग्राम पटोदा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं। 'नोट– दौराने अपील दिनांक 31.12.2019 को देहान्त हो गया।'
1/1 भंवरी पुत्री इब्राहिम पत्नी बाबुस्या काजी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/2 लीमन पुत्री इब्राहिम पत्नी हुसैन निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/3 अक्तर पुत्री इब्राहिम पत्नी असगर निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/4 समली पुत्री इब्राहिम पत्नी युनुस अली निवासी वार्ड नं. 17 रेल्वे स्टेशन के पास चुरू जिला चुरू।
1/5 चुकी पुत्री इब्राहिम पत्नी इकबाल निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/6 सहीदन पुत्री इब्राहिम पत्नी खुशी मोहम्मद निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/7 कुसम पुत्री इब्राहिम पत्नी उम्मेद निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
1/8 फिरोज पुत्री इब्राहिम पत्नी मोहम्मद निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
1/9 जाकीर
1/10 सलीम पुत्रगण इब्राहिम फकीर निवासी ग्राम पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
2 सदीक उम्र 69 साल
3 सब्बीर उम्र 59 साल
4 मजीद उम्र 54 साल पुत्रगण स्व. अलीश्या निवासीगण भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
5 मु. सुगरा उम्र 66 साल पत्नी नूरमोहम्मद पुत्री स्व. अलीश्या निवासी लालपुर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 मु. मुमताज पत्नी सतर पुत्री स्व. अलीश्या निवासी मोहल्ला बिसायतियों का रामगढ़ तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
7 मु. बलकेश पत्नी शमशेर पुत्री स्व. अलीश्या निवासी हमीरखां का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 मु. रहिसा पत्नी नवाब पुत्री स्व. अलीश्या निवासी मुखवास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9 मु. अंजु पत्नी जमीन पुत्री स्व. अलीश्या निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 मु. मरियम बेवा फैज मोहम्मद उम्र 54 साल निवासी मोती मस्जिद के पास बकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
11 नबाब
12 अहमद पुत्र स्व. फैज मोहम्मद निवासीगण मोती मस्जिद के पास बुलकसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
13 रमजान पुत्र
14 छोटु पुत्र
15 फारूक पुत्र
16 अजीज पुत्र
17 मु. नबीर पुत्री
18 मु. भंवरी पुत्री
19 मु. शरीफा पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 मु. फरजाना पुत्री स्व. फैज मोहम्मद नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता मरियम बेवा फैज मोहम्मद निवासी मोती मस्जिद के पास बकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
21 मु. बानो पत्नी बसीरश्या पुत्री स्व. सुलतान खां निवासी ग्राम छापर तहसील व जिला चुरू।
22 मु. खातुन पत्नी फतुश्या पुत्री स्व. सुलातनश्या निवासी ग्राम पड़ियारा तहसील व जिला चुरू।
23 मु. जुलेखां पत्नी बादश्या पुत्री स्व. सुलतानश्या निवासी ग्राम साखु तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
24 मु. दौलत पत्नी दानश्या
25 मु. सुखिया पत्नी सुलतानश्या निवासी मोती मस्जिद के पास श्योपुरा का बास सरदारशहर जिला चुरू।
26 सुबराती पुत्र स्व. सुलतानश्या जाति काजी निवासी ग्राम भालेरी तहसील व जिला चुरू।
27 कालु पुत्र स्व. सुलतानश्या निवासी ग्राम भालेरी तहसील व जिला चुरू। मृतक।
27/1 राशीद
27/2 सलीम
27/3 जीमल
27/4 सकील पुत्रगण कासु निवासीगण ग्राम भालेरी तहसील व जिला चुरू।
28 मु. शहिदन पत्नी लालश्या पुत्री स्व. सुलतानश्या निवासी रेल्वे लाईन के पास थाने के पास डुंगरगढ़ तहसील डुगरगढ़ जिला बीकानेर।
29 मु. खातुन पत्नी मागुश्या पुत्री स्व. सुलतानश्या निवासी रेल्वे लाईन के पास थाने के पास डुंगरगढ़ तहसील डुंगरगढ़ जिला बीकानेर।
30 मु. असलम पत्नी गुलाम हुसैन पुत्री सुलतानश्या निवास बिसाउ रोड़ मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
31 मु. सुगरा पत्नी सोकत
32 मु. भंवरी पत्नी असगर निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
33 'मृतक' श्रीमती अणची पत्नी सिराजुशाह पुत्री स्व. मंगलशाह निवासी उतराधा मोहल्ला काजियान सरदारशहर जिला चुरू। "नोट– दौराने अपील दिनांक 14.04.2017 को देहान्त हो गया।'
33/1 कासु

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

33/2 गुलाब पुत्र अणची पत्नी सिराजुस्या निवासी उतरादा मोहल्ला काजीयान सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
33/3 गुड्डी पुत्री अणची पत्नी मांगु निवासी भालेरी तहसील व जिला चुरू।
34 श्रीमती हाजरा स्त्री गनीशाह पुत्री स्व. मालशाह मृतक
34/1 जुलेखां पत्नी सतार निवासी सीकर सालासर रोड़ जिला सीकर।
34/2 सफीया पत्नी महबुब निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
34/3 सकिया पत्नी ईशाक निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
34/4 खतीजा पत्नी बाबुलाल निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
34/5 माफीया पत्नी मुस्ताक
34/6 रहीशा पत्नी पप्पु निवासीगण सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
34/7 किस्मत पत्नी मुमताज निवासी बाकरा रोड़ झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
34/8 युसुफ पुत्र हाजरा निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
35 श्रीमती हकीमन पत्नी अस्तअली पुत्री स्व. मंगलशाह निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
36 श्रीमती रहमत पत्नी स्व. शोकत पुत्री स्व.मंगलशाह निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
36/1 मुमताज पुत्र तराजुसा निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
36/2 बाबुड़ी पुत्री सराजुसा निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
36/3 अलफत पुत्री लालश्याह निवासी मीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
36/4 बलकेश पुत्री जंगसेर निवासी कांट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
36/5 मदीन पुत्री सतार निवासी सरदारशहर जिला चुरू।
36/6 बानु पुत्री इकबाल निवासी पीपली चौक झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

36/7 फिरदोस पुत्री इस्माईल निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
37 श्रीमती जुबैदा पत्नी सिराजु उर्फ मुरादश्या पुत्री स्व. मंगलशाह निवासी लालपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
38 यासीन पुत्र स्व. शरफुस्या जाति काजी फकीर (मृतक)
38/1 जमालुदीन पुत्री यासीन स्या निवासी बाकरा रोड़ झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
38/2 अनवर पुत्र यासीनस्या
38/3 उमेद पुत्र यासीनस्या
38/4 अस्त अली पुत्र यासीनस्या निवासीगण पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
38/5 भंवरी पुत्रियां यासीनस्या पत्नी गुलामदीन
38/6 अस्मत पुत्री यासीनस्या पत्नी शोकत निवासीगण दीनवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
38/7 बेबी पुत्री यासीनस्या पत्नी भंवर निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़।
39 गफुर पुत्र शरफुस्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
40 मु. संगरा पुत्री स्व. सरफुस्या बेवा असगरस्या निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
41 मु. अमृत पत्नी मन्नुस्या पुत्री सरफुस्या निवासी मोती मस्जिद के पास बुकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
42 मु. गुलाब पत्नी इस्लामुश्या पुत्री स्व. सरफुस्या निवासी कुगीयों का मोहल्ला ष्योपरा का बास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
43 मु. खातुन पत्नी हनीफस्या पुत्री स्व. सरफुस्या निवासी हमीरखां का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
44 मु. बलकेश पत्नी मजीदस्या पुत्री स्व. सरफुस्या निवासी हमीर खां का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
45 'मृतक' कालुश्या पुत्र स्व. दुलेश्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं। 'नोट–अपील दिनांक 13.12.2023 को देहान्त हो गया।'
45/1 सरीफन पत्नी
45/2 खलील पुत्र
45/3 शेर मोहम्मद पुत्र
45/4 असलम पुत्र
45/5 तोफिक पुत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

45/6 मदीन पुत्री
45/7 मोबीना पुत्री
45/8 कुलसुम पुत्री
45/9 खैरू पुत्री
45/10 रजिया पुत्री कालुश्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
46 'मृतक' शंकरस्या पुत्र स्व. दुलेश्या निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं । नोट– दौराने अपील दिनांक 16.12.2016 को देहान्त हो गया।
46/1 जमीला पत्नी
46/2 मुमताज पुत्र
46/3 मोहम्मद पुत्र
46/4 गुलाम हुसैन पुत्र
46/5 अकबर पुत्र शंकरस्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
46/6 जमील पुत्र
46/7 बल्लु पुत्र शंकर स्या निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
46/8 आबिदा पुत्री शंकरस्या पत्नी लुकमान निवासी रामगढ़ जिला सीकर।
46/9 नफीया पुत्री शंकरस्या पत्नी आरीफ निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
46/10 सायना पुत्री शंकरस्या पत्नी आरीफ निवासी दसरासर जिला चुरू।
46/11 नफीसा पुत्री शंकरस्या पत्नी इलियास निवासी लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
47 'मृतक' शायरा पत्नी असगरश्या पुत्री स्व. दुलेस्या जाति काजी निवासी ग्राम कमालसर तहसील व जिला झुन्झुनूं। नोट– दौराने अपील दिनांक 28.04.2017 को देहान्त हो गया।
47/1 युनुस पुत्र
47/2 मुस्ताक पुत्र
47/3 इसुब पुत्र
47/4 भंवरी पुत्री
47/5 बलकेश पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (जिला झुन्झुनूं)

47/6 जरीना पुत्री सायरा पत्नी असगर स्या निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
47/7 साबीरा पुत्री सायरा पत्नी असगर स्या निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
48 मु. मोहरी पत्नी जाफर पुत्री स्व. दुलेस्या निवासी भडुन्दा कला तहसील व जिला झुन्झुनूं।
49 मु. सुगरा पत्नी स्व. कबरूश्या निवासी मोती मस्जिद के पास बुकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू मृतक।
50 सत्तार
51 आमीन पुत्रगण स्व. झबरूश्या निवासी मोती मस्जिद के पास बुकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
52 फैजु
53 इस्माईल पुत्रगण स्व. झबरूश्या निवासी मोती मस्जिद के पास बुकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
54 मु. बतुल पुत्री स्व. झबरूश्या पत्नी जाफर जी उर्फ ताजुश्या निवासी मोती मस्जिद के पास बुकलसर का बास सरदारशहर जिला चुरू।
55 जाफर
56 गफार
57 रमजान
58 रहमान पुत्रगण भोलाश्या निवासीगण पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
59 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
60 ईलयास पुत्र गुलाम हुसैन निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
61 नजमा पत्नी जबार पुत्री गुलाम हुसैन निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
62 इमरान पुत्र गुलाम हुसैन निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
63 परबीन पत्नी समीर पुत्री गुलाम हुसैन निवासी बाकरा रोड़ झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
64 सबनम पुत्री गुलाम हुसैन निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

65 जुल्फेन पुत्री गुलाम हुसैन निवासी पाटोदा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मलसीसर मुकदमा उनवानी मुस्ममात बिस्मिल्ला आदि बनाम इब्राहिम आदि मु.नं. 33/2007 नया 11/2013 निर्णय दिनांक 18.08.2015

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयप्रकाश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जाफर अली खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री विकास कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2013 (33/2007) में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी बाबत वाद भूमि खसरा नम्बर 47, 277, 278, 44, 45, 279,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

280 वाके ग्राम पाटोदा का रेस्टोर करने का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि दावा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पेश करने हेतु व कुछ प्रतिवादीगण की तामील में चल रहा था। स्व. भोलेस्या जनवरी 2002 से ही लकवे की बिमारी से पिड़ित हो गया था उसका शरीर व जुबान लकवाग्रस्त हो गये थे। इसलिये वह बोलने चलने फिरने की स्थिति में नही था इसलिये दिनांक 04.04.2002 को गैर हाजरी मजबुरन थी जानुबझकर नहीं थी। भोलेस्या का दिनांक 23.08.2006 को स्वर्गवास हो गया था अपीलार्थीगण को उक्त मुकदमें की जानकारी नहीं थी प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने उन तथ्यों पर गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग निर्णय की तारीख में नहीं आता सम्पूर्ण पक्षकारों को पक्षकार भी नहीं बनाया। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अ. आदेश 09 नियम 09 के जवाब में यह स्वीकृत तथ्य है कि भोलेस्या लकवा की बिमारी से लकवाग्रस्त हो गया था। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर गलती कानूनी की है। उक्त दावा अचल सम्पत्ति से संबंधित था जिससे भोलेस्या के वारिसान गंभीर रूप से प्रभावित होते है। वर्तमान में मौके पर भूमि काश्त करते है व काबिज है। अपीलार्थीगण उक्त दावा रेस्टोर करवाने के अधिकारी है। उक्त दावा प्राईमरी स्टेज पर ही था। विचारण न्यायालय ने विलम्ब के प्रश्न को यह माना है कि उक्त विलम्ब भोलेस्या की गंभीर बिमारी के कारण था फिर भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर गलती कानूनी की है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये एक पक्षीय कार्यवाही या रेस्टोरेशन के मामले में माननीय न्यायालय को न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किये बिना अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जो कानून की मंशा के विपरित है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे उनको ना तो इंगित किया गया ना ही इनका कोई विश्लेषण किया गया ना ही उनको निर्णय में लिखा गया विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्तों का विश्लेषण करने की जरूरत भी नहीं समझी। विचारण का निर्णय काबिले निरस्त है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय दिनांक 18.08.2015 निरस्त किया जावे तथा दावा उनवानी भोलेस्या बनाम इब्राहिम वगै. मु.न. 43/92 दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती इस्तकरारहक व बंटवारा फैसला दिनांक 04.04.2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर की रेस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लिखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दियां कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी बाबत वाद भूमि खसरा नम्बर 47, 277, 278, 44, 45, 279, 280 वाके ग्राम पाटोदा का रेस्टोर करने का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का वाद दिनांक 04.04.2002 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध रेस्टोरेशन के लिए अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष 5 साल के असाधारण विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी बाबत वाद भूमि खसरा नम्बर 47, 277, 278, 44, 45, 279, 280 वाके ग्राम पाटोदा का रेस्टोर करने का पेश किया। विचारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना अ. आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मूल दावा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पेश करने हेतु व कुछ प्रतिवादीगण की तामील में चल रहा था। स्व. भोलेस्या जनवरी 2002 से ही लकवे की बिमारी से पिड़ित हो गया था उसका शरीर व जुबान लकवाग्रस्त हो गये थे। इसलिये वह बोलने चलने फिरने की स्थिति में नही था इसलिये दिनांक 04.04.2002 को अदम हाजरी अदम पैरवी में दावा खारिज हुआ है।

वादी भोलेस्या का दिनांक 23.08.2006 को स्वर्गवास हो गया था अपीलार्थीगण को उक्त मुकदमें की जानकारी होने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अ. आदेश 09 नियम 09 के जवाब में यह स्वीकृत तथ्य है कि भोलेस्या लकवा की बिमारी से लकवाग्रस्त हो गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र केवल मियाद पर खारिज कर विधिक त्रुटि की है।

मूल दावा अचल सम्पत्ति से संबंधित था जिससे भोलेस्या के वारिसान गंभीर रूप से प्रभावित होते है। वाद का निस्तारण तकनिकी आधार पर नहीं कर गुणवगुण पर किया जाना श्रेयस्यकर होता है। न्यायहित में अपीलार्थीगण का दावा रेस्टोर होने योग्य है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये एक पक्षीय कार्यवाही या रेस्टोरेशन के मामले में न्यायालय को न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.08.2015 को अपास्त किया जाता है एवं दावा उनवानी भोलेस्या बनाम इब्राहिम वगै. मु. न. 43/92 दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती इस्तकरारहक व बंटवारा फैसला

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 04.04.2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर निरस्त किया जाकर मूलवाद को पुनः नम्बर पर लेकर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय के निर्देशों के साथ प्रकरण रिमांड किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर